

मुकदमों का विवरण

रुचिर रस्तोगी बनाम।

पंकज रस्तोगी और अन्य ई. टी. सी. (2013 की आपराधिक अपील संख्या 3283-3284) अक्टूबर 19, 2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय यदि प्रतिवादियों यू/एस. एस. के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई एफ. आई. आर. को रद्द करने में न्यायसंगत साबित होता है। 457, 380 और 506, आई. पी. सी.

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 457, 380, 506 - एफ. आई. आर. एफ. आई. ने यह बताते हुए नेतृत्व किया कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 संबंधित एच. यू. एफ. के कर्तव्यों के रूप में समान हिस्से में भागीदार थे और दुकान की संपत्तियों और सामानों को संरक्षित करने का एक अंतरिम आदेश था-हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, दुकान की संपत्ति और सामानों को उसका उल्लंघन करते हुए हटा दिया-जब अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 से पूछताछ की, तो उसे चुप रहने की धमकी दी गई अन्यथा वह अपनी जान गंवा देगा-एफ. आई. आर. रद्द कर दी गई-वैधता:

आयोजित किया गया: अपीलार्थी के पिता, 'ए. आर.', 'के. आर.', और प्रत्यर्थी संख्या 1 वास्तविक भाई हैं-विचाराधीन दुकान अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के एच. यू. एफ. की एक संयुक्त साझेदारी थी और उन्होंने संबंधित एच. यू. एफ. के कर्तव्यों के रूप में साझेदारी विलेख पर हस्ताक्षर किए थे-मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विचाराधीन दुकान की खरीद, जिसमें 'ए. आर.' और उनकी पत्नी पूर्व मालिक से प्रमोटर/निदेशक थे, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिलीभुगत में योजनाबद्ध बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन इस स्तर पर उस प्रभाव के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है-मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेदखली के लिए मुकदमे की प्रारंभिक भाषा।

914

रुचिर रस्तोगी बनाम पान्काज रस्तोगी और अन्य ई. टी. सी.

उक्त वाद कि प्रथमतः, विचाराधीन दुकान में व्यवसाय उसके और अपीलार्थी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा था और यह कि जिला न्यायाधीश के एक सक्षम न्यायालय द्वारा यू/एस की कार्यवाही में एक निषेधाज्ञा पारित की गई थी। 9, 1996 अधिनियम-इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बेदखली के दावे को लगभग स्वीकार कर लिया जो अंततः उच्च न्यायालय के लिए मुकदमे का आदेश देने का आधार था-यह एक सांठगांठ वाला मुकदमा था और किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी

संख्या 1 ने बेईमान था और जानबूझकर अदालत से भौतिक तथ्य को छिपा दिया था-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, जिसमें न केवल मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक/प्रमोटर शामिल थे, बल्कि अन्य ने भी निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताला तोड़कर दुकान के अंदर की संपत्ति और सामान को हटा दिया-सभी ऑफ एनस संज्ञेय प्रकृति के हैं और तथ्यों पर, एफ. आई. आर. में होने वाले बुनियादी तत्व, उच्च न्यायालय ने एफ. आई. आर. को रद्द करने में गलती की-क्या ऑफ एनस साबित होते हैं या नहीं।9,36. [पैरा 5,8,9,15 और 17]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3283-3284।

सी. आर. एम. डब्ल्यू. पी. Nos.31343 और 2018 के 31370 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 15.04.2019 से।

रूप:

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल कौशिक, सुश्री भुवनेश्वरी पाठक, वरुण भसीन, सुश्री दीपिका कालिया, केशव खंडेलवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बसंत आर. सीनियर एड., सुविज्ञ अवस्थी, विवेक जोशी, कविनेश आर. एम., सुश्री राधा गुप्ता, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, अंकित गोयल, समीर जैन, अभिनव श्रीवास्तव, रोहन गुलाटी, शिवांग रावत, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

916 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

विक्रम नाथ, जे।

छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले और आदेश की शुद्धता पर हमला करती हैं।2018 की रिट याचिका Nos.31343 और 31370 (इसमें उत्तरदाताओं के नेतृत्व में) जिसमें दोनों रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई थी और वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 457,380 और 506, पुलिस स्टेशन फीलखाना, जिला कानपुर नगर के तहत 2018 के केस क्राइम No.0128 के रूप में दर्ज किया गया था।यहाँ निजी उत्तरदाता उक्त एफ़. आई. आर. में अभियुक्त थे।

3. अनावश्यक विवरणों से विरक्त, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: 3.1 अपीलार्थी और निजी उत्तरदाता एक ही परिवार के हैं और वंशावली इस प्रकार है:

लाला पुरुषोत्तम रस्तोगी =

नरैनी देव

लाला जुगल किशोर रस्तोगी =

बृज किशोरी देवी

राज किशोर

पंकज

अंबुज रस्तोगी (मृत)

कुणाल

रस्तोगी

रस्तोगी (ए 1)

(उत्तरदाता संख्या 8)

रस्तोगी

(उत्तरदाता

=

=

सुषमा रस्तोगी

राज बाला रस्तोगी

नंबर 1)

(उत्तरदाता No.81)

=

बबीता रस्तोगी

रुचिर रस्तोगी

बेटा।

(शिकायतकर्ता)

अभियुक्तों की सूची:

=

ए 1-पंकज रस्तोगी (आर 1) ए 2

अर्पित रस्तोगी

डिंपल रस्तोगी

(उत्तरदाता 8.2)

ए 1 का कर्मचारी

=

ए 3

तान्या रस्तोगी

ए 4-सुषमा कंस्ट्रक के लोग

(उत्तरदाता संख्या 7)

1 एफ. आई. आर. 2 आई. पी. सी 917

रुचिर रस्तोगी बनाम पान्काज रस्तोगी और अन्य ई. टी. सी. [विक्रम नाथ, जे.] 918 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

3.2 अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने संबंधित एच. यू. एफ. के कर्ता के रूप में एक साझेदारी में प्रवेश किया और एक साझेदारी विलेख दिनांक 01.04.2012 को लिखित रूप में कम कर दिया गया। उनके द्वारा विरासत में मिला व्यवसाय दुकान No.26/59 में किरायेदार के रूप में चलाया जाता था। उक्त परिसर को इसकी मालिक सुश्री उर्मिला गुप्ता से किराए पर लिया गया था।

3.3 प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को एक कानूनी नोटिस दिया जिसमें उसने डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2013 को भंग करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने दुकान की चाबियों को भी अपने पास रखा और उसमें अपीलार्थी के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया।

3.4 जवाब में, अपीलार्थी ने 07.06.2013 दिनांकित एक कानूनी नोटिस दिया जिसमें प्रत्यर्थी से 27.05.2013 दिनांकित अपना नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 3 की धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश, कानपुर के समक्ष एक आवेदन का भी नेतृत्व किया, जो विविध रूप से पंजीकृत था। 2013 का मध्यस्थता आवेदन No.77/70। जिला न्यायाधीश ने 01.07.2013 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें पक्षों को दूसरे की अनुपस्थिति में दुकान नहीं खोलने का निर्देश दिया गया था, यानी यह कहना कि दोनों पक्ष या उनका प्रतिनिधि संयुक्त रूप से दुकान में प्रवेश करेंगे और कोई भी पक्ष अलग से दुकान में प्रवेश नहीं करेगा। जिला न्यायाधीश ने अगली तारीख से पहले नोटिस देने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जिसे 06.07.2013 के रूप में दर्ज किया गया था। उपरोक्त आदेश दिनांकित 01.07.2013 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन को मुनस्त्रिम रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है। यह पंजीकृत होने के योग्य है।

01.07.2013

मामला उठाया गया।

7 जी. ए. पंजीकृत है जबकि विरोधी पक्षों को नोटिस जारी करने की तारीख 06.07.2013 निर्धारित की जाती है। तब तक दोनों पक्ष

या उनके प्रतिनिधि विवाद में दुकान में प्रवेश करेंगे

3 1996 का अधिनियम

एक साथ। कोई भी दल या उसके प्रतिनिधि अलग से दुकान में प्रवेश नहीं करेंगे।

11 विशेष दूत या अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है श्री प्रभात शर्मा अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है जो उस स्थान पर जाएगा और विरोधी पक्ष को नोटिस देगा और तारीख से पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। वादी अधिवक्ता आयुक्त को Rs.700 शुल्क का भुगतान करेगा और 100 के खर्च का भी भुगतान करेगा।

एसडी/-

जिला न्यायाधीश

3. 3 आई. डी. 1 पर, कानपुर में भागीदारों यानी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं. 1 के मेसर्स लाला जुगल किशोर और बेटों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किए गए थे। जिला न्यायाधीश, कानपुर के समक्ष, प्रतिवादी उपस्थित हुए और 1996 अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही में अपनी आपत्तियों का नेतृत्व किया। पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, जिला न्यायाधीश, कानपुर ने उक्त आवेदन का निपटान करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया। अभिलिखित तथ्य यह था कि अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया मामला था, सुविधा का संतुलन था और निषेधाज्ञा न दिए जाने की स्थिति में अपूरणीय क्षति भी हो सकती थी। जिला न्यायाधीश ने तदनुसार निर्देश दिया कि बिरहाना रोड, कानपुर के परिसर में मेसर्स लाला जुगल किशोर एंड संस की पूरी संपत्ति और संपत्ति 1996 के अधिनियम की धारा 36 के अनुसार लागू होने से पहले मध्यस्थता निर्णय दिए जाने तक संरक्षित रखी जाएगी।

11.11.2013 दिनांकित आदेश का परिचालन भाग इस प्रकार है:-

“आवेदन **4** के उसी के अनुसार तय किया जाता है। बिरहाना रोड, कानपुर नगर में मेसर्स लाला जुगल किशोर एंड संस की पूरी संपत्ति, संपत्ति मध्यस्थता **919** के निर्माण तक संरक्षित रखी जाएगी।

रुचिर रस्तोगी बनाम पान्काज रस्तोगी और अन्य ई. टी. सी. [विक्रम नाथ, जे.] 920

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा **36** के अनुसार इसे लागू करने से पहले पुरस्कार।

3.6 अपीलार्थी के अनुसार, एक मध्यस्थता पुरस्कार 29.08.2013 पर पारित किया गया था, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक-R5 के रूप में प्रत्युत्तरक एफ़ी डेविट के साथ दी गई है। उक्त पुरस्कार समझौते के आधार पर दिया जाता है। उक्त समझौते के अनुसार, जिसमें एफ. आई. आर. एम. की सभी संपत्तियां और सामान शामिल थे, विचाराधीन दुकान अपीलार्थी और उसके पिता के अनन्य कब्जे में आ गई। 3.7 श्री अंबुज रस्तोगी, उत्तरदाताओं में से एक और लाला जुगल किशोर रस्तोगी के बेटों में से एक ने मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दुकान की मालिक सुश्री उर्मिला गुप्ता से खरीदी, जिसमें वह और उनकी पत्नी सुषमा रस्तोगी मुख्य प्रवर्तक थे।

3.8 मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ न्यायाधीश की अदालत, लघु कारण/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अदालत No.16, कानपुर नगर में 2014 के लघु कारण मुकदमे No.309 के रूप में पंजीकृत एक बेदखली मुकदमे का नेतृत्व किया। प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति को उक्त मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। निचली अदालत ने दिनांक 15.07.2015 के फैसले के माध्यम से उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया। मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने एस. एस. सी. संशोधन सं. 1 के रूप में पंजीकृत उच्च न्यायालय के समक्ष प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 के तहत एक संशोधन को प्राथमिकता दी। 279 2015 से। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से उसमें विरोधी पक्ष यानी पंकज रस्तोगी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दी गई रियायत के आधार पर दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से उक्त संशोधन की अनुमति दी और प्रतिवादी संख्या 1 को 30 दिनों की अवधि के भीतर दुकान का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का निर्देश जारी किया गया। यह भी प्रावधान किया गया था कि सहमत शर्तों के अनुसार, यदि कब्जा 30 दिनों के भीतर सौंप दिया जाता है, तो वादी मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड किराए की वसूली के लिए दबाव नहीं डालेगा। अभिलिखित रियायत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिचालन भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

“तदनुसार, 2014 के एस. सी. सी. सूट No.309, मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में विद्वान न्यायाधीश लघु कारण न्यायालय/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय No.16, कानपुर नगर द्वारा पारित दिनांक <आई. डी. 2 का विवादित निर्णय। पंकज रस्तोगी को अलग कर दिया जाता है और वादी के नेतृत्व में मुकदमा दायर करने की अनुमति दी जाती है। हालाँकि, इस स्तर पर, प्रतिवादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि काउंटर एफ़िएफ़ के पैराग्राफ 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी एक भी पैसा देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसका व्यवसाय बंद हो गया है, इसलिए, अलग रखने के लिए बकाया का भुगतान करने का दायित्व है। इस कथन पर, वादी-संशोधनवादी का विद्वान वकील बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि यदि प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा आज से 30 दिनों के भीतर शांतिपूर्ण कब्जा सौंप दिया जाता है, तो वह किराए के बकाया की किसी भी वसूली के लिए दबाव नहीं डालेगा।

तदनुसार, जैसा कि पक्षों के बीच संयुक्त रूप से सहमति हुई है, प्रतिवादी-प्रतिवादी को आज से तीस दिनों की अवधि के भीतर दुकान का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जाता है। यदि ऐसा कब्जा 30 दिनों के भीतर सौंप दिया जाता है, तो वादी-संशोधनकर्ता किराए की किसी भी वसूली के लिए दबाव नहीं डालेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा सौंपे जाने पर कब्जा लेने में वादी की ओर से कोई भी देरी या जानबूझकर टालना वर्तमान आदेश की भावना के खिलाफ लिया जाएगा।

प्रतिवादी के विद्वान वकील इस आदेश की एक प्रति अपने मुवक्किल को भेजने का वचन देते हैं। वादी को आवश्यक अनुपालन के लिए प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही पंजीकृत डाक/कूरियर सेवाओं द्वारा एक प्रमाणित संपादित प्रति देने की भी अनुमति है।

यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यदि आज से तीस दिनों के भीतर कब्जा नहीं सौंपा जाता है, तो वादी इसे निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

हालाँकि, ऊपर की गई टिप्पणियों के साथ संशोधन की अनुमति है।”

921

रुचिर रस्तोगी बनाम पान्काज रस्तोगी और अन्य ई. टी. सी. [विक्रम नाथ, जे.] 922

3.9 प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के बल पर, दुकान को मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड-बेदखली के मुकदमे में वादी को 11.10.2018 पर सौंप दिया।

3.10 अपीलार्थी को पता चला कि मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड दुकान के बाहर रखा गया था और यह भी कि उक्त दुकान के ताले बदल दिए गए थे। इसके तुरंत बाद अपीलार्थी ने 22.10.2018 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की जो एक विचाराधीन विषय है। उक्त एफ. आई. आर. में प्रतिवादी नंबर 1 के साथ मोहित रस्तोगी, केतन शाह और मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया और एफ. आई. आर. में नामित किया गया। एफ. आई. आर. में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि माननीय एच. यू. एफ. के कर्तास के रूप में अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 समान हिस्से में भागीदार थे और एक अंतरिम आदेश चल रहा था। जिस समय अंतरिम आदेश पारित किया गया था, उस समय दुकान में लगभग 100 किलोग्राम सोना, 500 किलोग्राम चांदी, 10,000 कैरेट हीरे और 5000 कैरेट रत्न थे। अपीलार्थी को नए ताले और मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड के बारे में केवल 17.10.2018 पर पता चला। यह भी उल्लेख किया गया था कि 11 वें अपीलार्थी को पता चला था कि यह प्रतिवादी नंबर 1 था, जिसमें प्राथमिकी में नामित कर्मचारी थे, जिन्होंने ताले खोले थे और पूरा स्टॉक और मूल्यवान दस्तावेज गायब थे। जब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी नंबर 1 से पूछताछ की, तो उसने उसे चुप रहने की धमकी दी अन्यथा वह अपनी जान गंवा देगा।

3.11 यह वही एफ. आई. आर. है जिसे क्रिमिनल मिस्क ने चुनौती दी थी। पंकज रस्तोगी, मोहित रस्तोगी और केतन कुमार शाह और क्रिमिनल मिस्क के नेतृत्व में 2018 की लिखित याचिका No.31343/2018 की रिट याचिका No.31373 का नेतृत्व अर्पित रस्तोगी की पत्नी तान्या

रस्तोगी ने किया था और अंबुज रस्तोगी ने इसे रद्द करने की प्रार्थना की थी। इन दोनों याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले द्वारा अनुमति दी गई है।

3.12 उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया कि एफ. आई. आर. में उल्लिखित विभिन्न धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था क्योंकि इसका अंकित मूल्य संतुष्ट नहीं करता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

आई. पी. सी. की धारा 457, 380 और 506 के तहत अपराध की सामग्री। उसी से व्यथित, वर्तमान दो अपीलों को शिकायतकर्ता रुचिर रस्तोगी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

4. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील, अपीलार्थी की ओर से श्री विकास सिंह और निजी उत्तरदाताओं की ओर से श्री आर. बसंत को सुना है। हमने अभिलेख पर सामग्री और संबंधित पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों का भी अध्ययन किया है।

5. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज किशोर रस्तोगी (अपीलार्थी के पिता), अंबुज रस्तोगी, कुणाल रस्तोगी और पंकज रस्तोगी (प्रतिवादी संख्या 1) असली भाई हैं। चारों लाला जुगल किशोर रस्तोगी के पुत्र हैं। विचाराधीन दुकान अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 के एच. यू. एफ. की एक संयुक्त साझेदारी थी और उन्होंने संबंधित एच. यू. एफ. के कर्तव्यों के रूप में साझेदारी विलेख पर हस्ताक्षर किए थे।

6. 1996 अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही विवादित नहीं है और न ही उसमें 01.07.2013 और 11.11.2013 पर पारित आदेश विवादित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के नेतृत्व में आपत्तियों और पक्षों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद दिनांकित 11.11.2013 आदेश पारित किया गया था। यह एक तर्कपूर्ण आदेश है जिसके लिए स्पष्ट रूप से कोई चुनौती नहीं है। पंकज रस्तोगी 01.07.2013 दिनांकित आदेश के साथ-साथ 11.11.2013 दिनांकित आदेश के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे।

7. यह सच है कि मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक और निदेशक अंबुज रस्तोगी और सुषमा रस्तोगी 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे और ठीक इसी कारण से कि वे दुकान में चलाए जा रहे व्यवसाय के संबंध में भागीदार नहीं थे।

8. यह मान लेना अनुचित है कि अंबुज रस्तोगी और सुषमा रस्तोगी को 1996 के अधिनियम के तहत धारा 9 की कार्यवाही में पारित आदेशों के बारे में पता नहीं था, लेकिन भले ही यह माना जाता है कि वे उक्त आदेशों से अवगत नहीं थे, लेकिन तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 को उचित जानकारी थी और वह उपरोक्त कार्यवाही में जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों से अच्छी तरह से अवगत था। मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विचाराधीन दुकान की खरीद, जिसमें

अंबुज रस्तोगी और सुषमा रस्तोगी पूर्व मालिक श्रीमती से प्रवर्तक/निदेशक थे। उर्मिला गुप्ता 923 का हिस्सा हो सकती थीं।

रुचिर रस्तोगी बनाम पान्काज रस्तोगी और अन्य ई. टी. सी. [विक्रम नाथ, जे.] 924

प्रतिवादी नंबर 1 के साथ मिलीभगत से बड़े षड्यंत्र की योजना बनाई गई लेकिन हम इस स्तर पर उस प्रभाव को दर्ज करने से खुद को रोकते हैं।

9. मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेदखली के लिए छोटे कारणों के मुकदमे की अंतिम भाषा केवल प्रतिवादी नंबर 1 को शामिल करती है क्योंकि प्रतिवादी उनकी मिलीभगत के बारे में बहुत कुछ बोलता है। जिस बात ने अंबुज रस्तोगी को यह विश्वास दिलाया कि वह प्रतिवादी नंबर 1 था, जो अकेला मालिक था और जिस दुकान से व्यवसाय चलाया जा रहा था, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मामले में, एक बार जब प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखली की सूचना दी गई, तो उसे उक्त मुकदमे में इस तथ्य का खुलासा करना चाहिए था कि सबसे पहले, विचाराधीन दुकान में व्यवसाय उसके और अपीलार्थी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही में जिला न्यायाधीश के एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक निषेधाज्ञा पारित की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बेदखली के दावे को लगभग स्वीकार कर लिया जो अंततः उच्च न्यायालय के लिए मुकदमे का आदेश देने का आधार था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सांठगांठ वाला मुकदमा था और किसी भी मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 ने बेईमानी की थी और जानबूझकर अदालत से भौतिक तथ्य को छुपाया था। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 ने दुकान की संपत्तियों और वस्तुओं को अलग से संरक्षित करने के आदेश के तहत इसका उल्लंघन करते हुए 11.10.2018 पर बेदखली की डिक्री के अनुपालन में कब्जा सौंप दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, जिसमें न केवल मेसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक/प्रवर्तक शामिल थे, बल्कि अन्य ने भी निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करते हुए ताला तोड़कर दुकान के अंदर की संपत्ति और सामान को हटा दिया।

10. आई. पी. सी. की धारा 457, 380 और 506 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज की गई एफ़. आई. आर. पर विचार करने के बाद, अब हम आई. पी. सी. की धारा 457, 380 और 506 के घटकों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या उच्च न्यायालय ने एफ़. आई. आर. दर्ज करने में सही था कि इसके बावजूद, उक्त अपराध के लिए घटकों को एफ़. आई. आर. के पढ़ने से नहीं बनाया गया था।

11. चोरी आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत निषिद्ध है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को इस तरह लेने के लिए स्थानांतरित करता है, कहा जाता है कि वह चोरी करता है। वर्तमान मामले में, दुकान के अंदर की संपत्ति और सामान अपीलार्थी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे में थे और एक निषेधाज्ञा थी

सक्षम न्यायालय द्वारा यह प्रदान किया गया कि विचाराधीन दुकान की संपत्तियों और वस्तुओं को संरक्षित किया जाएगा, अपीलार्थी की सहमति या जानकारी के बिना उन्हें हटाना चोरी के बराबर होगा।

12. दिनांक 01.07.2013 के आदेश के अनुसार और बाद में दिनांक 11.11.2013 के आदेश द्वारा, यह निर्देश दिया गया था कि धारा 36 के अनुसार लागू होने से पहले उक्त आयोग की पूरी संपत्ति और संपत्ति को मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने तक संरक्षित किया जाएगा। इसलिए कब्जा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर निषेधाज्ञा लागू थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पूरी तरह से जानते हुए दुकान को पहले आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था और मैसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को उक्त दुकान में संपत्ति और सामान को हटाने की अनुमति दी। यह कहना मुश्किल है कि क्या वह सीधे तौर पर चोरी में शामिल था, लेकिन वह साजिश और चोरी को बढ़ावा देने में पूरी तरह से शामिल था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपीलार्थी को इसके बारे में सूचित करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

13. अपीलार्थी, उक्त मामले में भागीदार होने के नाते, उसकी जानकारी के बिना संपत्ति को हटाना चोरी के बराबर होगा, चाहे वह मैसर्स सुषमा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड या अन्य द्वारा किया गया हो।

14. इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 457 'जेल से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपे हुए घर में अतिचार या घर तोड़ने' के संबंध में एक अपराध की बात करती है। मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी इमारत में की गई चोरी आई. पी. सी. की धारा 380 के तहत दंडनीय है और सात साल तक की अवधि के लिए सजा हो सकती है और यह दंडनीय भी हो सकती है। वर्तमान मामले में, जिस परिसर में संपत्ति को चोरी के उद्देश्य से संग्रहीत किया गया था, उसके ताले तोड़ दिए गए थे, आईपीसी की धारा 457 के तहत सजा 14 साल तक बढ़ जाएगी। 15. आई. पी. सी. की धारा 506 आपराधिक धमकी की बात करती है। एफ. आई. आर. में विशिष्ट कथन था कि जब अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1 से पूछताछ की, तो उसने उसे चुप रहने की धमकी दी अन्यथा वह अपनी जान गंवा देगा। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एफ. आई. आर. को रद्द करने में गलती की और कहा कि ये सभी तथ्य संज्ञानात्मक प्रकृति के हैं और एफ. आई. आर. में बुनियादी तत्व हैं। सबूत साबित होते हैं या नहीं, यह मुकदमे का विषय होगा और जांच से पहले कि क्या जांच एजेंसी द्वारा एक परीक्षण योग्य मामला बनाया गया है या नहीं, लेकिन किसी भी मामले में, ऐसा मामला नहीं था जहां प्राथमिकी रद्द की जा सकती थी।

16. प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया बचाव यदि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विचार किया जाता है, तो जांच में उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है और मुकदमे में भी हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, हम कुछ आपत्तियों का उल्लेख करेंगे, उदाहरण के लिए, मध्यस्थता पुरस्कार और उसके निष्पादन के संबंध में विवाद। उसकी अनुपस्थिति में भी एक बार संपत्ति को संरक्षित करने के लिए निषेधाज्ञा दी गई थी, प्रतिवादी संख्या 1 उसी पर विचार नहीं कर सकता था और शुरुआत में, उसे 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित आदेशों के बारे में अपीलार्थी को सूचित करना चाहिए था। उसे दुकान के कब्जे को आत्मसमर्पण करने से बचना चाहिए था। इसलिए, प्रथम दृष्टया अपराध में उसकी भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है।

17. ऊपर दर्ज सभी कारणों से, अपील सफल होती है और उनकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। कानून अपना काम करे। विचाराधीन एफ. आई. आर. के संबंध में मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए है और यह जांच या मुकदमे को प्रभावित नहीं कर सकती है जो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर निर्णय लिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे